

299

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला जबलपुर

R 348 - I-17

प्रेमसिंह उर्फ सुमन परस्ते  
पिता श्री भारतलाल परस्ते  
निवासी नाटा तहसील बैहर  
जिला बालाघाट

---- आवेदक

विरुद्ध

- 1- श्री जसपाल सिंह पिता परमजीत सिंह  
निवासी मकान नं. 801 गुप्तेश्वर,  
जबलपुर म0प्र0
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर

---- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम मानेगांव प.ह.नं.30/37 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 48. रकबा 0.77 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास अन्य ग्राम में 4.80 हैक्टर सिंचित भूमि स्थित है । आवेदक ग्राम नाटा तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट में परिवार सहित निवास करता है और इस कारण जबलपुर स्थित उक्त भूमि की देखरेख नहीं कर पाता है । उक्त रकबा बहुत कम है । अतः उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति दी जाये ।
- 3- यहकि, जिलाध्यक्ष द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण दर्ज किया गया है साथ ही ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 6-2-17 की तिथि नियत की गई ।
- 4- यहकि, आवेदक को रूपयों की आवश्यकता होने से आवेदक द्वारा दिनांक 20-1-17 को माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष शीघ्र सुनवाई किए जाने का आवेदन दिया जिसे जिलाध्यक्ष महोदय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण दिनांक 6-2-17 को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये हैं । कलेक्टर के इस आदेश व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

आधार

1. यहकि, कलेक्टर ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु कोई

श्री जसपाल सिंह  
निवासी मकान नं. 801  
गुप्तेश्वर, जबलपुर  
म0प्र0

20/1/17

A. Mishra  
Adv.  
24/1/2017

R/S

XXXIX(a)BR(H)-11

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक - निग0 348-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक की ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 30/37 रा.नि. मं.. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.77 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण दिनांक 6-02-17 के लिये नियत किया। आवेदक द्वारा दिनांक 16-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किये जाने पर कलेक्टर ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जानबूझकर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है। आवेदक बालाघाट जिले का निवासी है इसलिए भूमि की देखरेख नहीं कर पाता है उसके द्वारा प्रस्तावित केता से एडवांस भी प्राप्त ले लिया है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है। यदि आवेदक को अनुमति नहीं दी गई तो हो सकता है अनावेदक द्वारा भूमि का सौदा निरस्त कर दिया</p>	

*PK*

*M*

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ता
	<p>जाये, जिसके कारण आवेदक को आर्थिक क्षति होगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवेदक को अपनी भूमि कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो शासन द्वारा आदिम जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए बने कानूनों की मंशा के विपरीत होगा। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त लगभग 4.887 हेक्टर भूमि बालाघाट जिले में शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 30/37 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.77 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li> <li>2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li> </ol>	


1/12

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 348-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>3-</p>	<p>उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा</p> <p style="text-align: center;">             (एम0के0 सिंह)            सदस्य,            राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश            ग्वालियर         </p>	